60 65

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

1686-I/2001

प्र०क्र० -1। 2001 पुनरीक्षण

श्री एस.के. वाजपेयी अभि० द्वारा आज दि० 6/9/2001 को प्रस्तुत।
अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
6 SEP 2001

1- मुस० पारवती पत्नी केदारनाथ

2- शिवगोपाल } पुत्रगण केदारनाथ

3- रामकृष्ण

4- विधाता प्रसाद पुत्र हुल्लास

निवासीगण ग्राम परसधा तहसील त्योंथर

जिला रीवा ------ आवेदकगण

विरुद्ध

1- विश्वनाथ तनय महावीर

2- रमाकान्त तनय विश्वनाथ

निवासीगण ग्राम परसधा तहसील त्योंथर

जिला रीवा ------ अनावेदकगण

अपर आयुक्त रीवा संभाग व्दारा प्र०क्र० 1874।96-97 पुनरीक्षण में पारित आदेश दिनांक 12-6-2001 के विरुद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदकगण निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते हैं :-

(1) यह कि अपर आयुक्त महोदय का विवादित आदेश अवैध, अनुचित एवं अनियमित होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) यह कि प्रकरण में विवादित भूमि के अभिलिखित भूमिस्वामी आवेदकगण 1, 2 एवं 3 हैं। आवेदक क्रमांक 4 ने अभिलिखित भूमिस्वामियों से पंजीकृत विक्रय-पत्र व्दारा भूमि क्रय की है एवं आवेदक क्रमांक 4 को नामांतरण कराने की पात्रता है। तहसील न्यायालय व्दारा अभिलेख

--- 2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1686–एक/2001 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16-9-2016	आवेदक के अधिवकता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा प्रकरण में उपलबध अभिलेखों का अवलोकन किया। 2– आवेदक अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क दिया कि विवादित भूमि के अभिलिखित भूमिस्वामी आवेदकगण 1, 2 एवं 3 हैं। आवेदक कमांक 4 ने अभिलिखित भूमिस्वामी से भूमि कय की थी। अनावेदकगण का विवादित भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है। अनावेदक कमांक 1 ने बिना किसी अधिकार के एवं अवैध कार्यवाही के माध्यम से आवेदकगण की भूमि पर अपना नामांतरण करा लिया है, जिसे वरिष्ठ न्यायालय में चुनौती दी गई। इसी बीच अनावेदक कमांक 1 ने अनावेदक कं 2 को भूमि अंतरिम कर दी। अतः अनावेदक कमांक 2 का तथाकथित नामांतरण स्वत्वहीन होने से उपेक्षणीय है। आवेदक कमांक 1, 2 एवं 3 अपने पूर्वज केदारनाथ के समय से भूमिस्वामी चले आ रहे हें तथा नामांतरण के आवेदन का विधिवत निराकरण किया जाना चाहिए। अपर आयुक्त ने बिना आवेदकगण को सुनवाई का अवसर दिये पंजीकृत विकय पत्र के आधार पर की जा रही न्यायालयीन कार्यवाही को समाप्त कर देने में गंभीर भूल की है। अतः अपर आयुक्त का विवादित आदेश निरस्त किया जाये। 3– अभिलेख का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट होता है कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में अनावेदक द्वारा अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसमें अपर आयुक्त ने बिना आवेदकगण को सुनवाई का अवसर दिये अपील को स्वीकार कर तहसील न्यायालय के आदेश को निरस्त किया है। चूंकि अपील प्रकरण में आवेदकगण को	

बिना सुनवाई का अवसर दिये आदेश पारित किया गया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त रीवा संभाग का आदेश दिनांक 12–6–01 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ नायब तहसीलदार त्योंथर को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि चूंकि प्रकरण पूर्व से ही दिनांक 22–4–97 को नियत था किन्तु न्यायालयीन प्रकियाओं के चलते लगभग 19 वर्ष से लंबित है अतः अनावेदकगण विश्वनाथ एवं रमाकांत को आहूत कर एवं सुनवाई का अवसर देने के उपरांत नायब तहसीलदार गुण–दोष के आधार पर प्रकरण का निराकरण करें। इस निर्देश के साथ प्रकरण का निराकरण किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। अभिलेख वापस भेजे जाये। प्रकरण दर्ज अभिलेखागार हो।

(के. सी. जैन)
सदस्य